भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

खनिज साधन विभाग

भोपाल, दिनांक 26 जून 1979

क्र. 2920-4976-बारह.—खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

नियम 3 में खंड 2 (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाय:—

"(ख) जिसकी एक वर्ष के दौरान विक्रय राशि किसी एक व्यक्ति के मामले में रुपये 25,000.00 तथा किसी सहकारी संस्था के मामले में रुपये 50,000.00 से अधिक न हो,'

No. 2918-4976-XII.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Mines and Minerals (Regulation and Dev.) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government hereby make the following further amendments in the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1961, namely :—

Amendment

In rule 3 for clause (ii) (b) the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) Whose turnover during a year does not exceed in the case of individual, 'Twenty-five thousand rupees' and in the case of Co-operative Society 'Fifty thousand rupees' and"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. अग्रवाल, उपसचिव.

राजस्व (शाखा ५) विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जून 1979

क्र. 1012-931-79-सात-शाखा 5.—राज्य शासन द्वारा मुद्रण तथा जिल्दसाजी नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

(1) मुद्रण तथा जिल्दसाजी नियम, 1961 के उपनियम (6) में सरल क्रमांक 27 में "पंजीयक, उच्च न्यायालय, जबलपुर" के स्थान पर "पंजीयक एवं अतिरिक्त पंजीयक, उच्च न्यायालय, जबलपुर /उपपंजीयक, उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं खंड पीठ में पदस्थ उपपंजीयक" प्रतिस्थापित किया जावे.

(2) मुद्रण तथा जिल्दसाजी नियम, 1961 के उपनियम (47) में सरल क्रमांक 4 में जिला और सत्र न्यायाधीश के पूर्व "पंजीयक/अतिरिक्त पंजीयक तथा उपपंजीयक, उच्च न्यायालय, जबलपुर / खंड पीठ में पदस्थ उपपंजीयक" प्रतिस्थापित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशा दास, विशेष सचिव.

गृह (यातायात) विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जून 1979

क्र. 7-3-77-दो-ए-(2).—सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (क्रमांक 64 सन् 1950) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन रूल्स, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 5 में, उपनियम (1), (2) तथा (3) को क्रमशः उपनियम (2), (3) तथा (4) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाय और इस प्रकार पुनः क्रमांकित उपनियम (2) के पूर्व निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(1) निगम के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता ऐसी दरों पर प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे जैसी कि राज्य सरकार, समय-समय पर, विशेष या साधारण आदेश द्वारा इस संबंध में अवधारित करे."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कृ. शं. शर्मा, विशेष सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जून 1979

क्र. 7-3-77-दो-ए (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सम क्रमांक दिनांक 27 जून 1979 का अंग्रेज़ी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कृ. शं. शर्मा, विशेष सचिव.

Bhopal, the 27th June 1979

No. 7-3-77-II-A(2).—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Road Transport Corporation Act, 1950 (No. LXIV of 1950), the State Government hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh State Road Transport Corporation Rules, 1962, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 5, sub-rules (1), (2) and (3) shall respectively, be renumbered as sub-rules (2), (3) and (4) and before sub-rule (2) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(1) the Chairman and the Vice-Chairman of the Corporation shall be eligible to draw travelling allowance and daily allowance at such rates as the State Government may from time to time, by general or special order, determine in this behalf.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

K. S. SHARMA, Spl. Secy.

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 1979

एफ क्र. 3-6-79-3-एक.—समय-समय पर यथा संशोधित इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1974-सी.आर.-321-एक (तीन)-63, दिनांक 13 अगस्त 1963 के अंतर्गत प्रकाशित राज्य सेवाओं में उम्मीदवारों की भरती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा संचालन नियमों में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएं, अर्थात्:—

संशोधन

1. नियम 1 में उल्लिखित श्रेणी तीन के पदों में क्रमांक (XVIII) के बाद क्रमांक "(XIX) Asstt. Jailor" शब्द अंतःस्थापित किये जाएं.

2. नियम 4 के खंड (तीन) में "Excise sub Inspector and Transport sub Inspector" शब्दों के स्थान पर excise sub Inspector Transport sub. Inspector and Assistant Jailor" शब्द स्थापित किए जाएं.

3. परिशिष्ट एक (ए) के भाग तीन में क्रमांक 18 के नीचे "19 Assistant Jailor: 150" शब्द तथा अंक अन्तःस्थापित किए जाएं.

4. परिशिष्ट दो में :—

(क) पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ (b) में क्रमांक (iii) के बाद निम्नलिखित क्रमांक एवं प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(iv) Assistant Jailor ....Height 165 cm. Chest-girth without expansion 81 Cm.

(ख) पैराग्राफ (6) के नीचे उल्लिखित टिप्पणियों में क्रमांक 8 के नीचे क्रमांक 9 एवं उसके सामने निम्निलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं अर्थात्:—

"(9) Vision of both eyes of candidates for the post of Assistant Jailor shall be normal and healthy."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एल. एन. मीणा, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

(पर्यावरण शाखा)

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 1978

क्र. 3162-48-बत्तीस-78.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आवास एवं पर्यावरण विभाग में चतुर्थ श्रेणी सेवा से संबंधित भरती का तरीका और भरती का क्षेत्र विनियमित करने के निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—यह नियम मध्यप्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भरती नियम, 1978 कहलायेंगे.

2. प्रयुक्ति.—यह नियम संचालनालय, नगर एवं ग्रामीण नियोजन के चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को, नैमित्तिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को छोड़कर, लागू होंगे.

3. वर्गीकरण एवं वेतनमान आदि.—पदों का वर्गीकरण, वेतनमान, भरती का तरीका, आयु सीमा और इन पदों से संबंधित मामले इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार होगा :—

अनुसूची

(नियम 3 देखिये)

क्रमांक	सेवा में शामिल पदों के नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भरती का तरीका	सीधी भरती हेतु	
						आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	दफ्तरी	2	चतुर्थ श्रेणी	रु. 131—164 + 10 विशेष वेतन	पदोन्नति द्वारा	..	..
2	प्रेसमेन	8	चतुर्थ श्रेणी	रु. 131—164	पदोन्नति तथा सीधी भरती द्वारा	18 से 30 वर्ष	5वीं क्लास पास और बुक बाइंडिंग और फाइलें रखने का अनुभव या फेरो-प्रिंटिंग कार्य का अनुभव.
3	चेनमेन	12	चतुर्थ श्रेणी	125—150	सीधी भरती द्वारा	18 से 30 वर्ष	5 वीं क्लास पास
4	चपरासी	43	चतुर्थ श्रेणी	125—150	सीधी भरती द्वारा	18 से 30 वर्ष	5 वीं कक्षा पास

प्रतिशत		पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव	किस पद से पदोन्नति की जायगी	विवरण
पदोन्नति	सीधी भरती			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
100 प्रतिशत	..	प्रेसमेन के पद का 3 वर्ष का अनुभव	प्रेसमेन	
50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	चपरासी या चेनमेन के पद का 3 वर्ष का अनुभव.	चपरासी/चेनमेन	
..	100 प्रतिशत	..		
..	(1) 50 प्रतिशत खुली प्रतियोगिता से (2) 50 प्रतिशत विभाग में नियुक्त नैमित्तिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों में से.	.. ..	..	

No. 3162-48-XXXII-78.—In exercise of the opwers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules regulating the method and field of recruitment to the Madhya Pradesh Housing and Environment Department Class IV Service, namely .—

1. **Short title**.—These rules may be called the Madhya Pradesh Town and Country Planning (Class IV) Recruitment Rules, 1978.

2. **Application.**—These rules shall apply to every member of Class IV Service in the Directorate of Town and Country Planning except the Contingency paid employees.

3. **Classification and Scale, etc**· The classification of posts, the scale of pay, the method of recruitment age limit and other matters relating to these posts shall be as specified in the schedule attached with these rules:—

SCHEDULE

(*See* Rule 3)

S No.	Name of posts included in the service	No. of posts	Classification	Scale of pay	Method of recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Daftari	2	Class IV	Rs. 131—164 plus Rs. 10. S.P.	By promotion
2	Pressman	8	Class IV	Rs. 131—164. ...	By promotion & direct recuitment
3	Chainman	12	Class IV	Rs. 125—150. ...	By Direct recruitment
4	Peon	43	Class IV	Rs. 125—150. ...	By direct recruitment

For Direct recruitment		Percentage of		Experience required for promotion	From which post promotion will be made	Remarks.
Age limit	Qualification	Promotion	Direct recruitment			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		100%		3 years experience on the post of pressman.	Pressman	
18 to 30 years	5th class pass with experience in book binding and file keeping or knowledge of Ferroprinting work.	50%	50%	3 years experience on the post of peon or chainman.	Peon/Chainman	
18 to 30 years	5th class pass		100%			
18 to 30 years	5th class pass		(1) 50% by open market (2) 50% by contingency paid employees of the Deptt.			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1979

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

खनिज साधन विभाग

भोपाल, दिनांक 26 जून 1979

क्र. 2920-4976-बारह.—खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

नियम 3 में खंड 2 (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाय:—

"(ख) जिसकी एक वर्ष के दौरान विक्रय राशि किसी एक व्यक्ति के मामले में रुपये 25,000.00 तथा किसी सहकारी संस्था के मामले में रुपये 50,000.00 से अधिक न हो,"

No. 2918-4976-XII.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Mines and Minerals (Regulation and Dev.) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government hereby make the following further amendments in the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1961, namely :—

Amendment

In rule 3 for clause (ii) (b) the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) Whose turnover during a year does not exceed in the case of individual, 'Twenty-five thousand rupees' and in the case of Co-operative Society 'Fifty thousand rupees' and"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. अग्रवाल, उपसचिव.

राजस्व (शाखा ५) विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जून 1979

क्र. 1012-931-79-सात-शाखा 5.—राज्य शासन द्वारा मुद्रण तथा जिल्दसाजी नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

(1) मुद्रण तथा जिल्दसाजी नियम, 1961 के उपनियम (6) में सरल कमांक 27 में "पंजीयक, उच्च न्यायालय, जबलपुर" के स्थान पर "पंजीयक एवं अतिरिक्त पंजीयक, उच्च न्यायालय, जबलपुर /उपपंजीयक, उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं खंड पीठ में पदस्थ उपपंजीयक" प्रतिस्थापित किया जावे.

(2) मुद्रण तथा जिल्दसाजी नियम, 1961 के उपनियम (47) में सरल क्रमांक 4 में जिला और सत्र न्यायाधीश के पूर्व "पंजीयक/ अतिरिक्त पंजीयक तथा उपपंजीयक, उच्च न्यायालय, जबलपुर / खंड पीठ में पदस्थ उपपंजीयक" प्रतिस्थापित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशा दास, विशेष सचिव.

गृह (यातायात) विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जून 1979

क्र. 7-3-77-दो-ए-(2).—सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (क्रमांक 64 सन् 1950) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन रूल्स, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 5 में, उपनियम (1), (2) तथा (3) को क्रमशः उपनियम (2), (3) तथा (4) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाय और इस प्रकार पुनः क्रमांकित उपनियम (2) के पूर्व निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(1) निगम के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता ऐसी दरों पर प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे जैसी कि राज्य सरकार, समय-समय पर, विशेष या साधारण आदेश द्वारा इस संबंध में अवधारित करे."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कृ. शं. शर्मा, विशेष सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जून 1979

क्र. 7-3-77-दो-ए (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सम क्रमांक दिनांक 27 जून 1979 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कृ. शं. शर्मा, विशेष सचिव.

SCHEDULE

(*See* Rule 3)

S No.	Name of posts included in the service	No. of posts	Classification	Scale of pay	Method of recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Daftari	2	Class IV	Rs. 131—164 plus Rs. 10. S.P.	By promotion
2	Pressman	8	Class IV	Rs. 131—164. ...	By promotion & direct recruitment
3	Chainman	12	Class IV	Rs. 125—150. ...	By Direct recruitment
4	Peon	43	Class IV	Rs. 125—150. ...	By direct recruitment

For Direct recruitment		Percentage of		Experience required for promotion	From which post promotion will be made	Remarks.
Age limit	Qualification	Promotion	Direct recruitment			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		100%		3 years experience on the post of pressman.	Pressman	
18 to 30 years	5th class pass with experience in book binding and file keeping or knowledge of Ferroprinting work.	50%	50%	3 years experience on the post of peon or chain man.	Peon/Chainman	
18 to 30 years	5th class pass		100%			
18 to 30 years	5th class pass		(1) 50% by open market (2) 50% by contingency paid employees of the Deptt.			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.